राज्यपाल सिचवालय,उत्तर प्रदेशं लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स./२७२४/जी.एस. दिनांक २० सितम्बर,२००३

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

महोदय.

आपके पत्र संख्या-सम्बद्धता/७७२, दिनांक १.८.२००३ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १६७३ की धारा ३७(२) के अधीन ट्रांसलेम कालेज आफ एजूकेशन, मवाना रोड, मेरठ को बी.एड.पाठ्यकम में १०० सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००३ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

 संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२- २००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।

प्रवि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १६७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रवान की गई संम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

(राकेश कुमार ओझा) कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०,१८-ए,न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ ।

३. निर्देशक,उच्च शिक्षा,उच्च शिक्षा निर्देशालय,इलाहाबाद।

४. क्षेत्रीय निदेशक,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ४६-ए, शान्तिपथ,तिलक नगर,जयपुर।

सचिव, ट्रांसलेम कालेज आफ एजूकेशन, मवाना रोड,मेरठ

(राकेश कुमार ओझा) कुलाधिपति के विशेष सचिव